दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

नकल आदेश दिनांक 15-2-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :फूलपुर
वाद सख्या :-01691/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201902030201691
सन्तोष कुमार यादव बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रस्तुत वाद संतोष कुमार यादव सैनिक शिक्षा समिति ग्राम मई देवकली हनुमानगंज द्वारा प्रबन्धक संतोष कुमार यादव एक्स आर्मी पुत्र मातादान यादव नि0 ग्राम मई देवकली हनुमान गंज परगना झूंसी तहसील फूलपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ। जिसमें कहा गया है कि मौजा कैथवल परगना झूंसी की आराजी संख्या 177 रकबा 0.0570हे0 व 178 रकबा 0.1600हे0 योग रकबा 02170हे0 का बैनामें के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। उक्त आराजी पर वादी द्वारा विद्यालय हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया गया है। उक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाय। नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से जांच आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि मौजा कैथवल परगना झूंसी की वर्तमान खतौनी 1424 लगायत 1429 फसली की खाता संख्या 214 रकबा 177 रकबा 0.0570हे0 व 178 रकबा 0.1600हे0 कुल दो गाटा रकबा 0.2170हे0पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उकत आराजी पर कृषिक कार्य नहीहं किया जा रहा है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा उक्त आराजी को अकृषिक किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। वादी ने अपने साक्ष्य में नकल आकार पत्र 41,45 नकल खसरा 1359 फसली संलग्न पत्रावली है, वादी द्वारा खतौनी वर्ष 1424 लगायत 1429 फसली सम्बन्धित आराजी की फोटो चालान संख्या 2201/1 ए यू 41967 से मु0 1000/- रू0 व उक्त आराजी को व्यवसायिक घोषित किये जाने हेतु चालान संख्या बीडी 30856 दिनांक 13.02.2019 से जमान 4600रू0 जमा चालान की प्रति तथा रू0 4600/- का कोर्ट फीस स्टाम्प तथा बैनामा दिनांकित 04.12.2018 दाखिल कर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के अधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश:-

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा कैथवल परगना झूंसी की वर्तमान खतौनी 1424 लागयत 1429 फसली की खाता संख्या 214 की आराजी संख्या 177 रकबा0.0570हे0 व 178 रकबा 0.1600हे0 कुल दो गाटा रकबा 0.2170हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाता है। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या मय नजरी नक्शा दिनांक 05.02. 2019 आदेश का अंग होगा। आदेंश की एक प्रति उप निबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(कुलदेव सिंह)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
प्रयागराज

15-2-19

नकल आदेश दिनांक 15-2-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :फूलपुर
वाद संख्या :-01688/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902030201688
सन्तोष कुमार यादव बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रस्तुत वाद संतोष कुमार यादव सैनिक शिक्षा समिति ग्राम मई देवकली हनुमानगंज द्वारा प्रबन्धक संतोष कुमार यादव एक्स आर्मी पुत्र मातादान यादव नि0 ग्राम मई देवकली हनुमान गंज परगना झूंसी तहसील फूलपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ। जिसमें कहा गया है कि मौजा मई परगना झूंसी की आराजी संख्या 342 मि0 रकबा 3.1900हे0 का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। उक्त आराजी में से रकबा 0.6075हे0 पर विद्यालय बनाने हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण करा लिया गया है। उक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाय। नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से जांच आंख्या आहूत की गयी। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि मौजा मई परगना झूंसी की वर्तमान खतौनी 1426 लागयत 1430 फसली की खाता संख्या 229 की आराजी संख्या 342 रकबा 3.1900हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उकत आराजी के रकबा 0.6075हे0 पर बाउण्ड्री वाल बनाकर पठन–पाठन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा उक्त आराजी को अकृषिक किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। वादी ने अपने साक्ष्य में नकल आकार पत्र 41,45 नकल खसरा 1359 फसली पत्रावली है, वादी द्वारा खतौनी वर्ष 1426 लगायत 1431 फसली सम्बन्धित आराजी की फोटो चालान संख्या 2201/1 ए यू 42039 से मु0 1000/– रू0 व उक्त आराजी को व्यवसायिक घोषित किये जाने हेतु चालान संख्या बीडी 31046 दिनांक 13.02.2019 से जमान 13000रू0 जमा चालान की प्रति तथा रू0 13000/–का कोर्ट फीस स्टाम्प तथा बैनामा दिनांकित 16.10.2018 दाखिल कर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के अधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश:–

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा मई परगना झूंसी की वर्तमान खतौनी 1426 लागयत 1431 फसली की खाता संख्या 229 की आराजी संख्या 342 रकबा 3.1900हे0 में से रकबा 0.6075हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाता है। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या मय नजरी नक्शा दिनांक 05.02.2019 आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

15/2

(कुलदेव सिंह)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
प्रयागराज

15-2-19
15-2-19
15-2-19
210

7/14